



मिरा-भाईदर महानगरपालिका

स्व.इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईदर (प.) ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१

जा.क्र./मनपा/लेखा १०/२०१६-१७

दि.२१/६/२०१६

प्रति,
श्री. कृष्णा सी. गुप्ता (अध्यक्ष-सत्यकाम फाऊंडेशन),
एस/१०६, पटाडिया कॉम्प्लेक्स,
भाईदर (पश्चिम),
ता.जि.ठाणे-४०१ १०१.

विषय :- केंद्रिय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये
(जनजागृति के संदर्भ मे मिरा-भाईदर महानगरपालिका के खर्चे
के विवरण)

संदर्भ :- आपला दि. ०७.०६.२०१७ चे अपिल पत्र..

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय अपिल अर्जानुसार वरिल विषयाच्या अपिलाची सुनावणी खालील नमुद
केलेल्या दिवशी व वेळी आयोजित करण्यात आली आहे.

सुनावणीचा दिनांक:- ०७.०७.२०१७.

सुनावणीची वेळ:- दुपारी ४.०० वाजता.

स्थळ:- या महानगरपालिकेच्या ४ थ्या मजल्यावर लेखा विभागात.

तरी वरिलप्रमाणे सुनावणीस उपस्थित रहावे ही विनंती.

आपला विश्वासू,

(शरद बेलवट)

मुख्यलेखाधिकारी

मिरा-भाईदर महानगरपालिका

or
21/6/16

06
07/06/1721.4.
८८५
१४/६/१७
२०१७सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 19(1) प्रथम अपील.

✓ प्रति,

प्रथम अपीलीय अधिकारी,

लेखा विभाग,

मीरा-भाईदर महानगर पालिका कार्यालय.

- 1.) आवेदक का नाम :- श्री.कृष्णा सी. गुप्ता (अध्यक्ष - सत्यकाम फाउंडेशन)
- 2.) आवेदक का पता :- एस/१०६, पटाडीया कॉम्प्लेक्स, उत्तन रोड, भाईदर (पश्चिम) जि.ठाणे
४०११०१, दूरध्वनी:- 8424823262, Email:- satyakaamofficial@gmail.com


महोदय,

मैंने सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है:-

- मीरा-भाईदर महानगर पालिका द्वारा किसी भी तरह की जनजागृति के लिए पास किये बजट का स्वरूप, खर्च का स्पष्ट विवरण, और सम्बंधित सभी जानकारी विधिवत दें.
 - मीरा भाईदर मनपा ने आज तक लगाये सभी बैनर, होर्सिंग, पम्पलेट, या अन्य कोई तो उसका नमूना प्रदान करें और बजट, खर्चा सहित सम्पूर्ण स्पष्ट माहिती दें.[नोट:- ठेका (Contract) का विवरण, कालावधि आदि]
- 3.) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित के बावजूद:- लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक:- 30/03/2016 तारीख का पत्र 31/03/2016 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा मुझे 1180/- रुपए भरने का आदेश दिया गया है, जिससे मैं पूर्णतः असहमत हूँ, और मैंने उस पत्र के ऐवज दिनांक:- 22/04/2016 को मेरी स्पष्ट विवरण लेखी स्वरूप लेखा विभाग को दी है।
- आपसे निवेदन है कि "सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 19(1)" के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना सी-डी में, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उपलब्ध कराने का भी आदेश दें।

तिथि :- 07/06/17

आवेदक के हस्ताक्षर:-


07/06/17